मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

ज्ञापन

क्र. एफ. बी./25/29/पीडब्ल्यूसी/94/चार भोपाल, दिनांक 9 फरवरी, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मंडल, मध्यप्रदेश,

अध्यक्ष, राजस्व
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :--पेंशन प्रकरणों के त्वरित गति से निराकरण के उपाय-सेवा सत्यापन तथा अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र.

राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों की सेवा-पुस्तिका में किसी अवधि के सत्यापन के अभाव में पेंशन प्रकरण निराकृत नहीं हो पाते हैं या प्राधिकार पत्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि ऐसी अवधि का सेवा सत्यापन का प्रमाण-पत्र कोषालय पर प्रस्तुत किया जावे. इन कारणों से पेंशन के भुगतान में विलंब होता है.

2. शासन ने इस अवरोध को दूर करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया है कि पेंशन प्रकरणों के परीक्षण के दौरान सेवा-सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की जाये. अगर सेवा-पुस्तिका में किसी अवधि का सेवा सत्यापन अंकित नहीं है लेकिन सेवा-पुस्तिका की अन्य प्रविष्टियों (जैसे, वेतन वृद्धियों की प्रविष्टि) से सेवा अवधि निरंतर होना दिखाई देता है, वहां पेंशन प्रकरण कार्यालय प्रमुख को नहीं लौटाया जायेगा वरन् परीक्षण कर पेंशन प्रकरण में पात्रता निर्धारित की जावेगी.

3. शासन ने इस संबंध में विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया है कि स्थानांतर अथवा सेवा-निवृत्ति पर अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी करते समय निम्नानुसार प्रमाण-पत्र भी, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र पर अंकित किया जावे :--

प्रमाणित किया जाता है कि :--

(अ) कर्मचारी की सेवापुस्तिका में सभी प्रविष्टियां (यथा स्वीकृत वेतनवृद्धि, स्वीकृत अवकाश, कार्यभार मुक्त करने की तिथि आदि) अंकित कर दी गई है.

(ब) ऊपर बताये गये अग्रिमों के अलावा शासकीय सेवक से अन्य कोई वसूली अथवा लेना-देना शेष नहीं है.

4. कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किये गये अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की एक प्रति संबंधित शासकीय सेवक को भी अनिवार्यतः दी जायेगी. कार्यालय प्रमुख का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि, स्तानान्तरित शासकीय सेवक का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा सेवा-पुस्तिका नये कार्यालय को एक माह के भीतर पहुंचा दी जाये. यदि इस नियत समय सीमा में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र नयी पद-स्थापना के कार्यालय में नहीं पहुंचता है तो नवीन कार्यालय प्रमुख या शासकीय सेवक इसकी सूचना पूर्व कार्यालय प्रमुख को देंगे जिसकी एक प्रति क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा को भी दी जायेगी. यह सूचना मिलने पर क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा संबंधित कार्यालय प्रमुख के वेतन का आहरण जिला कोषालय से तब तक नहीं होने देगा जब तक कि उनके द्वारा स्थानान्तरित शासकीय सेवक का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र और अद्यतन सेवा-पुस्तिका नहीं भेज दी जाती.

5. उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये. इनमें कोई शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. एन. अस्थाना)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.